

राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

अज अदालत... राजस्व अपील प्रा० मुकाम... अलवर
 शिवाजी बनाम... उदमी
 किस्म मुकदमा... 225 रा.रा. नं. 24/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.19	<p>पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जावे।</p> <p>पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अलवर के कोर्ट कैम्प गून्डपुर के निर्णय दिनांक 27.06.2018 के विरुद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है।</p> <p>अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी रिकॉर्ड व जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है, काबिज है व काश्त करते चले आ रहे हैं। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलांट को बिना तामील कराये, सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व लोक अदालत में निर्णय सादिर फरमाया गया है।</p> <p>विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है-</p> <p>(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।</p> <p>(2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।</p> <p>हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नहीं किया जाकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः तहत अदालत के निर्णय दिनांक 27.06.2018 का परिचालन अपीलांट के हिस्से हक तक स्थगित किया जाता है तथा उक्त अपील को तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।</p>	